प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 14.07.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व कुल 1000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 13.07.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व कुल 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती सुभावती पत्नी स्व प्रहलाद निवासी सानी केवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अभियुक्ता सगुनी पत्नी गोरे निवासी सानी केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री रामनिवास यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 218/2022 धारा 323/504 भादवि थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर दोनो धाराओं 323,504 भादवि मे क्रमश 700 रु/0 व 300 रु/0 (कुल 1000 रुपये) के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 14.07.2026 को मु0अ0सं0 536/2026 64(2)(m),352,351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र शिवपूजन निवासी गूदी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को कटाई चौराहा के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर के आदेशानुसार दिनाँक 17.06.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही कर अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनाँक 17.07.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री अजय कुमार सिंह, का0 विशाल सिंह।

दबिश के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता दुर्गा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी बनकटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री श्रीराम यादव, का0 राजू यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी नाम पता 01.जयराम यादव पुत्र सन्तराम यादव निवासी ददरा, 02.प्रदुम्न पुत्र ईश्वर चौरसिया निवासी टिकरी, 03.पप्पू पुत्र हरिराम चौरसिया निवासी टिकरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर, 04. दीनानाथ पुत्र लोचन निवासी मोगलहा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, कां0 लालजी, कां0 अमेरिका प्रसाद, रि0का0 हर्ष शुक्ला, रि0का0 आशुतोष शुक्ला।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 5999 द्वारा ट्रक और मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–**

* पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत खरचा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.संजय पुत्र चन्द्रिका 02.सोनू पुत्र ललित निवासीगण कुड़वा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0का0 राजेश यादव, हो0गा0चा सोमनाथ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 358 वाहनों से 437,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 358 वाहनों से 437,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।